रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2016/माघ 26, 1937
No. 99] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2016/ MAGHA 26 , 1937

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2016

सा.का.नि. 164(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है जिसमें उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 25 अगस्त, 2015 में सा.का.नि. 654(अ), तारीख 25 अगस्त, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 15 सितंबर, 2015 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त अधिसूचना की बाबत प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिए गए ;

और केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड से परामर्श कर लिया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 6 में,-

(क) उपनियम (3क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3ख) अधिनियम की धारा 5 के अधीन रजिस्ट्रीकृत समिति द्वारा यथा श्रेणीकृत देशी विनिर्माण सूत्रीकरण की श्रेणी के अधीन आने वाले कीटनाशी के लिए आवेदन केवल इलैक्ट्रानिक रूप में आनलाइन स्वीकार किया जाएगा ।";

(ख) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4क) उपनियम (3ख) के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र प्ररूप 3 में इलैक्ट्रानिक रूप में आनलाइन जारी किया जाएगा और वह ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की गई हैं ।"।

[फा. सं. 13028/02/2015-पीपी-I]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1650(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-

1. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 24 जुलाई, 1976,
2. सा.का.नि. 736(अ), तारीख 9 दिसंबर, 1977,
3. सा.का.नि. 1064(अ), तारीख 7 नवंबर, 1988,
4. सा.का.नि. 533(अ), तारीख 6 अगस्त, 1993,
5. सा.का.नि. 371(अ), तारीख 20 मई, 1999,
6. सा.का.नि. 372(अ), तारीख, 20 मई, 1999,
7. सा.का.नि. 548(अ), तारीख 12 सितंबर, 2007,
8. सा.का.नि. 692(अ), तारीख 7 नवंबर, 2006,
9. सा.का.नि. 128(अ), तारीख 26 फरवरी, 2009,
10. सा.का.नि. 174(अ), तारीख 5 मार्च, 2010,
11. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 11 जुलाई, 2013,
12. सा.का.नि. 797(अ), तारीख 13 नवंबर, 2014 और
13. सा.का.नि. 840(अ), तारीख 5 नवंबर, 2015 ।

IndiaCode

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2016

G.S.R. 164(E).—Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) was published under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) vide G.S.R.654(E),dated the 25th August, 2015, in the Gazette of India, Extraordinary Part-II , Section 3, Sub-section (i), the dated 25th August, 2015, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 15th September, 2015;

And whereas, objections and suggestions received in respect of the said notification were duly considered;

And whereas , the Central Government has consulted the Central Insecticides Board;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely:-

1. **Short Title and Commencement.—(**1) These rule may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971, in rule 6 -

(a) after sub-rule (3A), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3B) An application for registration of an insecticide falling under the category of Formulation Indigenous Manufacture as categorised by the Registration Committee under section 5 of the Act shall only be accepted in electronic form online." ;

(b) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4A) The Certificate of Registration under sub-rule (3B) shall be issued in electronic form online in Form III and shall be subject to such conditions as specified therein.".

[F. No. 13028/02/2015-PP-I]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and subsequently amended *vide*:-

1. G.S.R. 474(E), dated the 24th July, 1976,
2. G.S.R. 736(E), dated the 9th December, 1977,
3. G.S.R. 1064(E), dated the 7th November, 1988,
4. G.S.R. 533(E),dated the 6th August, 1993,
5. G.S.R. 371(E), dated the 20th May, 1999,
6. G.S.R. 372(E), dated the 20th May, 1999,
7. G.S.R. 548(E), dated the 12th September, 2007,
8. G.S.R. 692(E), dated the 7th November, 2006,
9. G.S.R. 128(E), dated the 26th February, 2009,
10. G.S.R. 174(E), dated the 5th March, 2010,
11. G.S.R. 474(E), dated the 11th July, 2013,
12. G.S.R. 797(E), dated the 13th November, 2014, and
13. G.S.R. 840(E), dated the 5th November, 2015.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.